

क्रमांक एफ 1 (A) V(207) स्था./राईस/साक्षात्कार/2019/3090

जयपुर, दिनांक 21-01-2019

आवासीय विद्यालयों में साक्षात्कार (Walk In Interview) का विज्ञापन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित निम्नांकित राजकीय आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों को शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापकों (2nd ग्रेड) एवं अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक), पुस्तकालयाध्यक्ष-III, शारीरिक शिक्षक-II, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक, साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हैं। साक्षात्कार हेतु निर्धारित दिनांक का विवरण निम्नानुसार है:-

दिनांक	पदों का नाम जिनका साक्षात्कार लिया जाना है	आवासीय विद्यालयों का नाम			
		क्र.स	बालिका	क्र.स	बालक
29.01.2019	प्रधानाचार्य	1	आटूण (भीलवाडा)	1	हरियाली (जालौर)
		2	पावटा (नागौर)	2	सागवाडा (डूंगरपुर)
		3	वजीरपुरा (टोंक)		
	व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापकों (2 nd ग्रेड)/अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक)/शारीरिक शिक्षक-II/पुस्तकालयाध्यक्ष-III/प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक	1	आटूण (भीलवाडा)	1	अटरू (बारा)
		2	भैंसवाडा (जालौर)	2	बगडी (दौसा)
		3	छाण (स.मा.)	3	बालेटा (अलवर)
30.01.2019	व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापकों (2 nd ग्रेड)/अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक)/शारीरिक शिक्षक-II/पुस्तकालयाध्यक्ष-III/प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक	4	देवलेन (करौली)	4	चाण्डपुरा (जालौर)
		5	हिण्डोली (बून्दी)	5	धनवाडा (झालावाड)
		6	हिंगी (कोटा)	6	हरियाली (जालौर)
		1	खोडन (बांसवाडा)	1	केनपुरा (पाली)
		2	पावटा (नागौर)	2	खेडा आसपुर (डूंगरपुर)
		3	तेलीखेडा (भीलवाडा)	3	मण्डाना (कोटा)
		4	वजीरपुरा (टोंक)	4	मण्डोर (जोधपुर)
5	युसुफपुरा (टोंक)	5	सागवाडा (डूंगरपुर)		
6	मच्छीपुरा (सवाई माधोपुर)	6	जैसिन्धर स्टेशन (बाडमेर)		
7	अमरपुर (दौसा)				

नोट:- आवेदनकर्ताओं के लिए निर्देश

1. प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिकों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।
2. आवेदन प्रारूप विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड किया जाकर साफ सुथरे अक्षरों में भर कर समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रति स्वयं सत्यापित संलग्न कर दिनांक 29.01.2019 एवं 30.01.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाकर कर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।
3. शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत अभ्यर्थी प्रतिबंधित जिले में स्थित आवासीय विद्यालयों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। लेकिन प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत ऐसे समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जो दिनांक 31.12.2008 से पूर्व के नियुक्त हैं, वे अन्तर जिला प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
4. आवेदक की शिक्षा विभाग में दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो जानी चाहिये।
5. एक प्रतिनियुक्ति से दुसरी प्रतिनियुक्ति में एक वर्ष का अन्तराल आवश्यक है। पूर्ण सेवा अवधि में 10 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति अवधि वाले कार्मिक आवेदन के लिए अपात्र होंगे।
6. साक्षात्कार की तिथि तक आवेदक द्वारा आवेदित पद पर परिवीक्षा काल समाप्त हो जाना चाहिए।
7. अभ्यर्थी अपने मूल पद/विषय पर ही आवेदन करें। पद विरुद्ध आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
8. प्रथमतः प्रतिनियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए होगी, जिसमें नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
9. बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला कार्मिक को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को नियमानुसार विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
11. विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों का विवरण एवं अन्य दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in/misc/vac_post_reis_Jun19_PDF पर देखी जा सकती है।
12. साक्षात्कार में भाग लेने वाले कार्मिक दिनांक 29.01.2019 एवं 30.01.2019 को 10.00 बजे साक्षात्कार (Walk In Interview) हेतु आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर के सभागार भवन में अपने साथ मूल आवेदन, मूल दस्तावेज (मय स्वप्रमाणित प्रतियां), पासपोर्ट साईज की फोटो तथा वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष से सेवा सत्यापन विवरण एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लेकर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
13. प्रधानाचार्य पद के लिए प्रधानाचार्य ही आवेदन कर सकेंगे।
14. साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/उपस्थिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।
15. विस्तृत जानकारी (Clarifications) हेतु फोन नं. 0141-2220278 पर प्रातः 9:30 से सांयकाल 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

(रुचि शर्मा)

आयुक्त एवं शासन सचिव
एवं सचिव राईस

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान जयपुर

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

रजि.नं.....(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित आवासीय विद्यालय का नाम

प्रतिनियुक्ति हेतु पद विषय.....

Recent
Photo
paste here

1. कार्मिक का नाम
2. पिता का नाम
3. मूल पद विषय
4. जन्म तिथि
5. गृह जिला
6. शैक्षणिक योग्यता
7. आवेदक का वर्तमान पता
8. प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं स्थान
9. सम्बन्धित शिक्षा निदेशालय (Set up)
10. वर्तमान पदस्थापन स्थान
11. वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण दिनांक
12. कुल सेवा अवधि
13. आवासीय विद्यालय में अनुभव.....वर्ष, अवधि दिनांक.....सेतक
14. कुल सेवा अवधि में प्रतिनियुक्ति कार्यकाल/वर्ष.....
15. तृतीय श्रेणी कर्मचारी की प्रतिबंधित जिले में नियुक्ति दिनांक.....
16. आवासीय विद्यालय में पूर्व में पदस्थापन स्थान का नाम.....दिनांक.....
17. संबंधित विषय का गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम 1.....2.....3.....
18. मोबाईल नं. (1) (2)
19. आवश्यक दस्तावेज संलग्न।

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचना/जानकारी सही है मेरे द्वारा आवेदन पत्र में असत्यता नहीं है अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक :-

प्रार्थी
हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक 29.01.2019 एवं 30.01.2019 हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए पात्रता/दिशा निर्देश

क्र.सं.	पद नाम	पात्रता
1	प्रधानाचार्य	राजकीय सी.सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य पद।
2	व्याख्याता	सम्बन्धित विषय में व्याख्याता
3	वरि.अध्यापक ग्रेड-1A	संबन्धित विषय में वरिष्ठ अध्यापक
4	अध्यापक ले-2	STC अथवा बी.एड तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें अध्यापक लेवल-2 के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो।
5	शारीरिक शिक्षक-II	राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कार्यरत जिन्हें द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक।
6	पुस्तकालयाध्यक्ष-III	पुस्तकालयाध्यक्ष मूल पद
7	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक मूल पद
8	प्रयोगशाला सेवक	प्रयोगशाला सेवक मूल पद

दिशा निर्देश:-

1. प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिकों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।
2. आवेदन प्रारूप विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड किया जाकर साफ सुथरे अक्षरों में भर कर समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रति स्वयं सत्यापित संलग्न कर दिनांक 29.01.2019 एवं 30.01.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाकर कर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।
3. शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत अभ्यर्थी प्रतिबंधित जिले में स्थित आवासीय विद्यालयों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। लेकिन प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत ऐसे समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जो दिनांक 31.12.2008 से पूर्व के नियुक्त हैं, वे अन्तर जिला प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
4. आवेदक द्वारा शिक्षा विभाग में दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो जानी चाहिये।
5. एक प्रतिनियुक्ति से दुसरी प्रतिनियुक्ति में एक वर्ष का अन्तराल आवश्यक है। पूर्ण सेवा अवधि में 10 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति अवधि वाले कार्मिक आवेदन के लिए अपात्र होंगे।
6. साक्षात्कार की तिथि तक आवेदक द्वारा आवेदित पद पर परिवीक्षा काल समाप्त हो जाना चाहिए।
7. अभ्यर्थी अपने मूल पद/विषय पर ही आवेदन करें। पद विरुद्ध आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
8. प्रथमतः प्रतिनियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए होगी, जिसमें नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
9. बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला कार्मिक को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को नियमानुसार विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
11. विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों का विवरण एवं अन्य दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in/misc/vac.post.rreis> JUN19 PDF पर देखी जा सकती है।
12. साक्षात्कार में भाग लेने वाले कार्मिक दिनांक 29.01.2019 एवं 30.01.2019 को 10.00 बजे साक्षात्कार (Walk In Interview) हेतु आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर के सभागार भवन में अपने साथ मूल आवेदन, मूल दस्तावेज (मय स्वप्रमाणित प्रतियां), पासपोर्ट साईज की फोटो तथा वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष से सेवा सत्यापन विवरण एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लेकर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
13. प्रधानाचार्य पद के लिए प्रधानाचार्य ही आवेदन कर सकेंगे।
14. साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/उपस्थिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।
15. कार्मिक के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित/लम्बित नहीं होनी चाहिए।
16. साक्षात्कार की दिनांक को मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
17. वेबसाईट पर बताए गए रिक्त पद अनुमानित है तथा उनमें कमी या वृद्धि संभावित है।
18. विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिये जाने एवं अन्य समस्त अधिकार आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव राईस के पास सुरक्षित होंगे।
19. चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
20. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं सतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है।
21. समस्त मामलों में किसी वाद के होते हुए अन्तिम निर्णय का अधिकार आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पदेन सचिव, राईस को होगा।
22. विस्तृत जानकारी (Clarifications) हेतु फोन नं. 0141-2220278 पर प्रातः 9:30 से सांयकाल 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।



पद	आर्य (भीलवाडा)	अरु बगडी (दोसा)	वालेटा (अलवर)	सेववाडा (जालौर)	छाण (स माधोपुर)	चाण्डपुर (जालौर)	देवतन (करौली)	धनवाडा (झालावाड)	हिन्दोली (इन्दी)	हरियाली (जालौर)	हिंणी (कोटा)	केनपुरा (पाली)	खेडाआसपुर (झारपुर)	खोडन (वासवाडा)	मण्डाना (कोटा)	मण्डोर (जोधपुर)	पाटा (नागौर)	सामवाडा (झारपुर)	तलीखेडा (भीलवाडा)	वजीरपुरा (टोक)	युसुपुरा (टोक)	जसिन्धर स्टेशन (बाडमेर)	मन्धीपुरा (स माधोपुर)	अमपुर (दोसा)	योग	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	23
प्रधानाचार्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5
व्याख्याता- अग्रेजी	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	7
हिन्दी अनिचार्य	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
हिन्दी साहित्य	0																									2
इतिहास	0																									4
चित्रकला	1																									6
गृह विज्ञान	1																									6
भूगोल																										4
गणित	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1											9
जीव विज्ञान	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
रसायन विज्ञान	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
भौतिक विज्ञान	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	10
राज. विज्ञान																										1
अर्थशास्त्र																										0
लेखा शास्त्र																										1
व्यवसाय प्रबन्ध																										0
आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन																										0
योग	2	1	2	0	4	4	5	0	2	1	4	4	6	7	7	0	1	4	3	2	1	0	3	3	4	63
वरिष्ठ अध्यापक- अग्रेजी	0	0	0	0	0	0																				2
संस्कृत	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5
गणित																										2
सा विज्ञान																										2
हिन्दी																										1
विज्ञान																										1
योग	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	13
अध्याते-2, हिन्दी	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7
अग्रेजी	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	7
संस्कृत	0																									1
गणित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4
सा विज्ञान	0																									4
विज्ञान	0																									2
योग	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	3	4	0	1	1	2	1	0	1	0	2	3	0	0	25
शारीरिक शिक्षक-II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3
पुस्तकालयग्रहक-III	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	18
प्रयोगशाला सहायक	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	2	3	0							53
प्रयोगशाला सेवक																										6
कुल पद	4	3	3	7	3	4	4	5	3	1	4	4	4	4	4	1	2	5	2	0	0	3	2	4	4	80
शैक्षणिक पदों का कुल योग	9	4	6	7	8	8	12	7	5	4	6	8	11	16	12	2	5	11	6	4	2	4	9	11	9	186

42